"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 मार्च 2012—फाल्गुन 25, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/13/2012/वाक/पांच (07).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड में वर्तमान द्वितीय परंतुक में अंक एवं शब्द "15 मार्च, 2012" के स्थान पर अंक एवं शब्द "30 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/13/2012/वाक/पांच (07).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/13/2012/वाक/पांच (07), दिनांक 15-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/13/2012/CT/V (07).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after the present second proviso in clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, for the word and figures "15th March, 2012" the word and figures "30th April, 2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISHRA, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.